

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा</u> प्रकरण संख्या <u>19/2026</u> रे0फो0 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रकांत 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की
	दिनांक : 01.04.2026 सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त उदयलाल की मृत्यु होने से दिनांक 23.04.2015 को कार्यवाही ड्रॉप की गई। अभियुक्त नारायणलाल की मृत्यु होने से दिनांक 13.03.2019 को कार्यवाही ड्रॉप की गई। अभियुक्त नाथूलाल को दिनांक 13.11.2024 को आरोपित अपराध से उन्मोचित किया गया। अभियुक्त अशोक कुमार को दिनांक 08.10.2024 को मफरूर किया गया। अभियुक्त चन्द्रकांत मय अधिवक्ता श्री अतुल पालीवाल उपस्थित। अभियुक्त शंभूसिंह अनुपस्थित। अधिवक्ता श्री अतुल पालीवाल उपस्थित। अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद सुनवाई आज के लिए स्वीकार किया गया। अभियुक्त गिरिराज गुर्जर अनुपस्थित। अधिवक्ता श्री भरत गुर्जर उपस्थित। अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद सुनवाई आज के लिए स्वीकार किया गया। अभियुक्त कल्याणसिंह अनुपस्थित। अधिवक्ता श्री शंकरसिंह सिसोदिया उपस्थित। अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद सुनवाई आज के लिए स्वीकार किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा</u> प्रकरण संख्या <u>19/2026</u> रे0फो0 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रकांत 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की
	प्रकरण में अभियुक्त कल्याणसिंह व गिरराज गुर्जर की ओर से साक्ष्य प्रतिरक्षा दिनांक 25.03.2026 को बंद की गई। अभियुक्त चंद्रकांत व शंभूसिंह की ओर से अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य प्रतिरक्षा हेतु अवसर चाहा गया। न्यायहित में अवसर इस शर्त पर दिया गया कि आगामी पेशी पर साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करने पर अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा एवं प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिरक्षा दिनांक 08.04.2026 को पेश हो।	